आदेश

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–4229, दिनांक–23.05.2017, तदनुसार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–6860/पी03, दिनांक–13.06.2017 के आलोक में पुलिस मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक–15.03.2018 को आयोजित किया गया। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित प्रस्तावों को लंबित/अस्वीकृत किया जाता है :–

क्र0 सं0	आश्रित का नाम/ संबंध	मृत पदा0/कर्मी नाम/पदनाम/ अंतिम पदस्थापन /मृत्यु का कारण	सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि/ आवेदन समर्पित करने की तिथि	प्रस्तावित पद का नाम	पिता/पति की मृत्यु की तिथि को आवेदक/ आवेदिका की उम्र/शारीरिक माप	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	राज रौशन /पुत्र	स्व0 प्रमोद कुमार/ स0अ0नि0 /विशेष शाखा /वीमारी	17.01.17 12.04.17	सिपाही	35 वर्ष 03 माह 12 दिन /ऊँचाई–164. 5 से0मी0/सीना–97–104 से0मी0	**लंबित** आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट देने के बावजूद इनका उम्र निर्धारित उम्र सीमा से 03 माह 12 दिन अधिक है, जिस कारण ये सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य है। यदि आवेदक वर्ग–घ के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हो तो पुनः प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
2	समसाद हुसैन/ पुत्र	स्व0 फारूख अली अंसारी/ पु0अ0नि0/ विशेष शाखा/ अचानक मृत्यु	10.04.16 26.07.16	सिपाही	19 वर्ष 04 माह 27दिन/ऊँचाई–167से0मी0/सीना –85–91 से0मी0	**लंबित** मृतक के सभी आश्रितों का अनियोजन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय।
3	संतोष कुमार/ पुत्र	स्व0 हरेराम प्रसाद यादव/पु0अ0नि0 / एस0टी0एफ0/ बीमारी	29.08.17 —	सिपाही	34 वर्ष 07 माह 24दिन/ऊँचाई–16 9 से0मी0/सीना–82–88 से0मी0	**लंबित** 1. विहित प्रपत्र पर फोटो चिपका हुआ नहीं है केवल स्टेपल किया हुआ है। 2. मृतक कर्मी का मृत्यु प्रमाण–पत्र अप्राप्त है।
4	गीता कुमारी /पत्नी	स्व0 अनुप कुमार सिंह/सि0/ एस0टी0एफ0/ दुर्घटना	04.11.12 03.02.18	वर्ग–घ	22 वर्ष 09 माह 14 दिन	**अस्वीकृत** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2822, दिनांक–27.04. 1995 की कंडिका–6 में निहित प्रावधान के तहत् आवेदिका के प्रस्ताव को कालबाधित पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।
5	ममता कुमारी /पुत्री	स्व0 बच्चन प्रसाद राय/स0अ0नि0/ अप0अनु0वि0/ बीमारी	16.09.16 28.11.17	सिपाही	28 वर्ष 03 माह 06दिन शारीरिक ऊँचाई अप्राप्त	**लंबित** 1. आवेदिका का विहित प्रपत्र एवं शपथ–पत्र के अतिरिक्त सभी कागजात की मूल प्रति अप्राप्त है। 2. अनियोजन प्रमाण–पत्र सही प्रारूप में नहीं है। 3. आवेदिका की शारीरिक ऊँचाई अप्राप्त है।

6	रंजन कुमार सिन्हा/ पुत्र	स्व0 हृदय नारायण प्रसाद/हेल्पर /वितन्तु/–	12.04.10 12.03.12	सिपाही	44 वर्ष 03 माह 19 दिन	**अस्वीकृत** आवेदक का बड़ा भाई नियोजित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निर्गत पत्रांक–1781, दिनांक–10.05. 2010 के तहत् परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–6668/2 003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–7044/ 2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के **gainfully** नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। **Gainfully** नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण–पोषण हो सके, के आलोक में आवेदक का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।
7	देवेन्द्र कुमार / पुत्र	स्व0 चरित्र मंडल/ स0अ0नि0 /विशेष शाखा/ आकस्मिक मृत्यु	15.10.13 13.02.14	सिपाही	उम्र 27 वर्ष 10 माह 14दिन/ऊँचाई–164 से0मी0/सीना– 97. 5–103 से0मी0	**लंबित** मृतक के सभी आश्रितों का अद्यतन अनियोजन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 11.4.18

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक 289/364749 /पी03
43–38–44–2017
पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 11/04/18

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस अधीक्षक (अ), विशेष शाखा/पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0/पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

– जिन आवेदकों/आवेदिकाओं के प्रस्ताव में त्रुटि है अथवा आवश्यक कागजात अप्राप्त रहने के कारण लंबित हैं, उन आवेदकों/आवेदिकाओं से आवश्यक कागजात प्राप्त कर/त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित कागजात एक सप्ताह के अन्दर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

– अस्वीकृत आवेदकों/आवेदिकाओं का पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध सभी मूल कागजात वापस किया जाता है।

2. आई0टी0मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11.4.18

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण),
बिहार, पटना